



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार  
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)  
**National Water Development Agency**  
Ministry of Jal Shakti, Government of India  
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

स्पीड पोस्ट/हाथों-द्वारा  
Speed Post/By Hand



No.ADMIN-12022/1/2021 /5/15-24

Date: 12/06/2023

**Office Order No. 542/2023**

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee made in its meeting held on 10.02.2023 and with the approval of the Competent Authority, Shri Sanjay Tripathi, Assistant Engineer is hereby promoted to the post of Assistant Executive Engineer/ Assistant Director on regular basis in Level-10 of Pay Matrix (Rs.56100-177500/-) from the date of assumption the charge of the said post at the respective place of posting. Details as given below:

Sl. No.	Name of the Official and Emp. ID	Present place of posting	Place of posting on promotion
1.	Shri Sanjay Tripathi (Emp. ID-0266)	ID, NWDA, Lucknow	IC, NWDA, Patna

2. Shri Sanjay Tripathi, Assistant Engineer is directed to submit acceptance/join within 30 days from the issue of this order otherwise the promotion will be treated as cancelled. If he does not accept the promotion, he will not be eligible for promotion for a period of one year and in such case, he shall lose his seniority and shall rank junior to the last official in the promoted post during this period.

3. Shri Tripathi will be on probation for a period of two years from the date of assumption of the charge on promotion.

4. On promotion, he will be entitled for pay fixation under FR 22(I)(a)(1), as he is drawing the pay in Level-8 of Pay Matrix (Rs.47600-151100/-) under the MACP Scheme.

The promotion is subject to the outcome of following court cases:

- The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.
- The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum &OrsVs. UOI &Ors. And other related court cases in any contempt court.
- Any other court cases in a connected matter.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

6. Hindi version will follow.

  
12/6/23

(Rajesh Kumar)  
Deputy Director (Admn.)

Continued...2/-



To:

1. Chief Engineer (North/South), NWDA, Lucknow/Hyderabad.
2. Superintending Engineer, IC, NWDA, Patna.
3. Executive Engineer, ID, NWDA, Lucknow.
4. Accounts Officer, NWDA, New Delhi.
5. Vigilance Section, HQs, NWDA, New Delhi.
6. Person concerned.
7. Personal File/ Service Book.
- ✓ 8. Web Master, Multi Disciplinary Unit, NWDA, New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to Director General, NWDA, New Delhi.
2. PS to Chief Engineer (HQ), NWDA, New Delhi.



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार  
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)  
**National Water Development Agency**  
Ministry of Jal Shakti, Government of India  
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



क्रमांक- प्रशा.-12022/1/2021/5115-24

दिनांक: 12/06/2023

**कार्यालय आदेश सं. 542/2023**

दिनांक 10.02.2023 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों के परिणामस्वरूप और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री संजय त्रिपाठी, सहायक अभियंता को सहायक अधिशासी अभियंता/सहायक निदेशक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (रु. 56100-177500/-) में पदोन्नत किया जाता है। यह सहायक अधिशासी अभियंता/सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के पश्चात् दर्शाए गए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा, जो इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम एवं पहचान संख्या	वर्तमान तैनाती का स्थान	पदोन्नति के पश्चात् तैनाती का स्थान
1.	श्री संजय त्रिपाठी (कर्मचारी पहचान संख्या-0266)	अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., लखनऊ	अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., पटना

2. श्री संजय त्रिपाठी, सहायक अभियंता को यह निर्देश दिया जाता है वह इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण/स्वीकृति दें अन्यथा पदोन्नति को निरस्त माना जाएगा। पदोन्नति स्वीकार न करने पर वह आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक पदोन्नति के अधिकारी नहीं होंगे एवं इस स्थिति में वह पदोन्नत पद पर वरिष्ठता से वंचित रहेंगे एवं अंतिम पदोन्नत अधिकारी से कनिष्ठ रहेंगे।


3. श्री त्रिपाठी पदोन्नत पद धारण करने की तिथि से दो वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहेंगे।

4. पदोन्नति पर वे एफ. आर. 22(आई)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए पात्र होंगे, क्योंकि वे वर्तमान में एमएसीपी योजना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (रु.47600-151100/-) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

पदोन्नति निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम के अधीन है:-

- पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.07.2011 से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।
- अखिल भारतीय समानता फोरम और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3490/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के फैसले से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 भारत संघ और अन्य तथा किसी भी अवमानना अदालत में संबंधित अन्य अदालती मामले।
- संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामले।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
12/6/23  
(राजेश कुमार)  
उपनिदेशक (प्रशा.)

प्रति:-

- मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), रा.ज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद।
- अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., पटना।
- अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., लखनऊ।
- लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- संबंधित व्यक्ति।
- सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत मिसिल।
- वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- महानिदेशक के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
- मुख्य अभियंता (मुख्यालय), के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।